

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02112023-249841
SG-DL-E-02112023-249841

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2023/कार्तिक 10, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 280
No. 332]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023/KARTIKA 10, 1945	[N. C. T. D. No. 280

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 नवम्बर, 2023

फा0 सं0 164/स्वा0 एवं परि0 कल्याण/2022/परिषद्/डीसीपीटीओटी/न्या0मा0/2697-2702-दिल्ली भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार द्वारा जारी दिनांक 25.02.2014 की अधिसूचना सं0फा0 17(75)/99-एमईडी/डीएचएस/313/12920 के आंशिक संशोधन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :-

- नियम 14.15(i) में "प्रदर्शन बैंक गारंटी ऐसे पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए वैध" शब्दों के स्थान पर "प्रदर्शन बैंक गारंटी ऐसे पाठ्यक्रम के संपूर्ण अवधि हेतु पांच वर्ष के लिए वैध तथा तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष में नवीनीकरणीय" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. नियम 14.20(iv) में "यदि आवश्यक हो, तो प्रदर्शन बैंक की गारंटी" शब्दों के स्थान पर "यदि आवश्यक हो, तो प्रदर्शन बैंक की गारंटी को पाठ्यक्रम के प्रत्येक पांच वर्ष से निरंतर जारी रहने तक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
दिनेश कुमार गोंदयान, उप सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st November, 2023

F. No. 164/H&FW/2022/Council/DCPTOT/Courtcase/2697-2702 :- In exercise of the powers conferred by section 50 of the Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy Act, 1997 (Delhi Act No. 7 of 1997) and in partial amendment of Notification No. F.17(75)/99-MED/DHS/313/12920 dated 25.02.2014 issued by this Government, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy Rules, 2014 as under:-

1. In Rule 14.15 (i), for the words, "the performance bank guarantee valid for the entire duration of such course" shall be substituted as "the performance bank guarantee valid for five years and renewable every five years thereafter for the entire duration of such course".
2. In Rule 14.20 (iv), for the words, "if necessary, of the performance bank guarantee." Shall be substituted as "if necessary, of the performance bank guarantee every five years till continuation of course."

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
DINESH KUMAR GONDYAN, Dy. Secy.